15/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नियम से कार्य हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/101

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
अहकाम के
हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्याः– 267 / 2022
GCMS:-2022/101

ता.दायराः– 22.09.2022

–: अनवान :–

1. बलवन्तसिंह
2. जरनैलसिंह } पि. मुख्तयारसिंह अकवाम तरखान निवासी 5 जी छोटी हाल निवास भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. जसवन्तसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह (मृतक) जरिये वारिस :–
   3/1. प्रकाश कौर पत्नी जसवन्तसिंह
   3/2.करमजीतकौर पुत्री जसवन्तसिंह
   3/3. संदीप सिंह पुत्र जसवन्तसिंह
   3/4. जगजीत कौर पुत्री जसवन्तसिंह } अकवाम तरखान(रामगढ़िया) निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. थानासिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति तरखान निवासी 5 जी. छोटी हाल निवास भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादीगण

बनाम

1. सरस्वती पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 19 एल.जी.डब्ल्यू. बी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजसथान।
2. अब्दुलहकीम
3. मोहम्मद ईशाक } पि. हाजी काबलदीन अकवाम मुसलमान निवासी ढ़ाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदेवसिंह पुत्र कालासिंह जाति तरखान निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई , अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री अजय अरोड़ा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: Self Attested

दिनांकः– 15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। [illegible] बहस सुनी गई। वाद पत्र में दिनांक 23.10.2024 को जारी प्रारंभिक डिक्री [illegible] पालना में तहसीलदार(भू.अ.) सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव क्रमांक [illegible]/2025 दिनांक 08.04.2025 प्राप्त हुआ। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति करते हुए निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव न्यायालय की डिक्री अनुसार प्राप्त नहीं हुआ हैं, प्राथमिक डिक्री में कुल भूमि में सड़क की भूमि को अलग करते हुए पक्षकारो के वास्तविक कब्जा के अनुसार नहीं हैं। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव में सड़क का रकबा अलग दर्शाते हुए तैयार किया हैं चूंकि रकबा सड़क में रकबा अवाप्त नहीं हुआ हैं, बिना अवाप्त किये हुए ही सड़क चल रही हैं इसलिए वह रकबा काश्तकारो के खाते में ही दर्ज होगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। खाता विभाजन प्रस्ताव में मौके पर चल रही सड़क अलग से अंकन किया हुआ हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती हैं। चूंकि रकबा सड़क में अवाप्त नहीं हुआ हैं इसलिए उसे खातेदारो के खाता से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विभाजन में बंटवारा से संबंधित कोई आपत्ति नहीं हैं इसलिए विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता हैं :-

बलवंत सिंह, जरनैलसिंह, जसवन्तसिंह, थानासिंह पि. मुख्तयार सिंह जाति तरखान निवासी भगवानगढ़ (ब.हि.ब) खातेदार

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39/285 मु.न. 25 किला नम्बर 21/0.253, 22/0.097(उतरी-पश्चिमी पासा) कुल 0.350 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सरस्वती पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 19 एलजीडब्ल्यू बी

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39/286 मु.न. 42 किला नम्बर 2 ता 4/ 0.759, 5/1/0.228, 5/2/0.025 खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9/0.759, 13-14/0.506, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17-18/0.506, 23-24/0.506, 25/1/0.228, 25/2/0.025

कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय खाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

विनोद कुमार पिता रामचन्द्र, पुष्पादेवी [illegible] विनोद कुमार जाति ओसवाल निवासी भगवानगढ़ (ब.हि.ब)

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39/286 मु.न. 42 किला नम्बर [illegible] 11, 12, 19, 20, 21, 22 = 2.024 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 39/285 मु.न. 25 किला नम्बर 22/0.036(दक्षिणी-पश्चिमी पासा)

कुल 2.060 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मोहम्मद ईशाक पिता हाजी काबलदीन 1.615 है., अब्दुल हकीम पिता हाजीकाबलदीन 1.060 हैक्. जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झलार

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 40/285 मु.न. 24 किला नम्बर 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17–18–19/0.759, 20/0.139, 21/0.139, 22 ता 24/0.759, 25/1/0.228, 25/2/0.025, पत्थर नम्बर 39/285 मु.न. 25 किला नम्बर 22/0.120(पूर्वी पासा), किला नम्बर 23/0.253 कुल 2.675 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.रास्ता

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग–अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026.. को सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

–: **अनवान** :–

1. बलवन्तसिंह
2. जरनैलसिंह

} पि. मुख्तयारसिंह अकवाम तरखान निवासी 5 जी छोटी हाल निवास भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

3. जसवन्तसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह (मृतक) जरिये वारिस :–

3/1. प्रकाश कौर पत्नी जसवन्तसिंह
3/2.करमजीतकौर पुत्री जसवन्तसिंह
3/3. संदीप सिंह पुत्र जसवन्तसिंह
3/4. जगजीत कौर पुत्री जसवन्तसिंह

} अकवाम तरखान(रामगढ़िया) निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।

4. थानासिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति तरखान निवासी 5 जी. छोटी हाल निवास भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादीगण

बनाम

1. सरस्वती पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 19 एल.जी.डब्ल्यू. बी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजसथान।
2. अब्दुलहकीम
3. मोहम्मद ईशाक

} पि. हाजी काबलदीन अकवाम मुसलमान निवासी ढ़ाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. गुरदेवसिंह पुत्र कालासिंह जाति तरखान निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 267 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री विनोद कुमार बिश्नोई एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री शिशपाल शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 श्री अजय अरोड़ा व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

मुताबिक मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

बलवंत सिंह, जरनैलसिंह, जसवन्तसिंह, थानासिंह पुत्रान पि. मुख्तयार सिंह जाति तरखान निवासी भगवानगढ़ (ब.हि.ब) खातेदार

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39/285 मु.न. 25 किला नम्बर 21/0.253, 22/0.097(उतरी–पश्चिमी पासा) कुल 0.350 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सरस्वती पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 19 एलजीडब्ल्यू बी

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39 / 286 मु.न. 42 किला नम्बर 2 ता 4 / 0.759, 5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025 खाला, 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025, 7 ता 9 / 0.759, 13–14 / 0.506, 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025, 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025, 17–18 / 0.506, 23–24 / 0.506, 25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025
कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय खाला

विनोद कुमार पिता रामचन्द्र, पुष्पादेवी पत्नी विनोद कुमार जाति ओसवाल निवासी भगवानगढ़ (ब.हि.ब)

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 39 / 286 मु.न. 42 किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 = 2.024 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 39 / 285 मु.न. 25 किला नम्बर 22 / 0.036(दक्षिणी–पश्चिमी पासा)
कुल 2.060 हैक्टेयर

मोहम्मद ईशाक पिता हाजी काबलदीन 1.615 है., अब्दुल हकीम पिता हाजीकाबलदीन 1.060 हैक. जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झलार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

चक 17 एल.के.एस. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 40 / 285 मु.न. 24 किला नम्बर 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025, 17–18–19 / 0.759, 20 / 0.139, 21 / 0.139, 22 ता 24 / 0.759, 25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025, पत्थर नम्बर 39 / 285 मु.न. 25 किला नम्बर 22 / 0.120(पूर्वी पासा), किला नम्बर 23 / 0.253
कुल 2.675 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.रास्ता

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग–अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

नोज......... × .... मुबलिग .... × .... बाबत ......×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फरदो की .... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की जावे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.05.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)